एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन, मसूरी
बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2675778, 2675779
http://uic.gov.in

पत्रांक :9671/उ.सू.आ./2013–14
दिनांक : 20/08/2013

प्रिय

माह जून 2013 तथा उसके बाद उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में विनाशकारी दैवीय आपदा से जो जान माल एवं सार्वजनिक सम्पत्ति की हानि हुयी है उसके सम्बंध में राज्य सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत, पुनर्वास तथा पुर्ननिर्माण के का को कराया जा रहा है.

2. आयोग का यह अनुमान है कि राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों तथा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के कार्यों के सम्बंध में कालांतर में नागरिकों द्वारा सूचना मांगी जायेंगी तथा इस हेतु सम्बंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारियों को अत्यधिक सूचना अनुरोध पत्र प्राप्त होंगे. ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि सम्बंधित कार्यालयों तथा लोक सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर कार्यों में अत्यधिक वृद्धि होगी. अतः दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को बचाव, राहत एवं पुनर्वास की जो सहायता प्रदान की जायेगी तथा सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण के जो कार्य सम्पादित किये जायेंगे, ऐसे कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखना तथा उनसे सम्बंधित सूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु तहसील एवं जनपद स्तर पर अभी से समुचित कार्यवाही किया जाना उचित होगा ताकि ऐसी सूचना को स्वतः ही सार्वजनिक किये जाने तथा उस तक नागरिकों की सुलभ पहुंच बनाये रखने से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त होने वाले अनुरोध पत्रों की संख्या को काफी हद तक सीमित किया जा सकता है.

3. इसके लिए यह समीचीन होगा कि बचाव, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सम्बंधी समस्त सूचना को तहसीलवार तैयार कर सम्बंधित जिलाधिकारियों तथा अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा जनपद की वैबसाईट में प्रमुखता से प्रदर्शित कर दिया जाये जिससे नागरिक ऐसी सूचना की जानकारी इंटरनैट के माध्यम से सीधे ही प्राप्त कर सकें. साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) (xi), (xii), (xiii) के अनुपालन में जनपदों को राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के मद में आवंटित धनराशि, उसके वितरण के मानक, लाभार्थीवार वितरित धनराशि जैसी सूचना का समावेश सम्बंधित लोक प्राधिकारी यथा जिलाधिकारी, अधिशासी अभियंता आदि के मैनुअल में भी कर के उनके निरंतर अद्यावधिकरण की व्यवस्था कर दी जाये तो विभिन्न कार्यालयों तथा लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का भार भी कम हो जायेगा.

4. अतः अनुरोध है कि शासन स्तर से समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों तथा दैवीय आपदा के अंतर्गत बचाव, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी लोक प्राधिकारियों को उपरोक्तानुसार सूचना तहसीलवार तैयार कर जनपद की वैबसाईट में प्रदर्शित करने तथा लोक प्राधिकारियों के मैनुअलों में समावेशित करने के साथ–साथ ऐसी जानकारियों की उपलब्धता की सूचना तथा जनपद के सम्बंधित वैबसाईट एड्रैस को दैनिक समाचार पत्रों एवं जन संचार माध्यमों से प्रसारित करने हेतु निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें तथा ऐसे निर्देशों की एक प्रति आयोग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री सुभाष कुमार
मुख्य सचिव